(31)

संख्या– A001-2022-2023-001-R- One-10/2022/1017

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
महोबा।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ : दिनांक 15 जून, 2022

विषय:- समाचार पत्रों में प्रकाशित कराए गए विज्ञापन बिलों के भुगतान हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या 756/सीआरए-13/दैआ-बजट 2022-23 दि0 04.05.2022 द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित कराए गए विज्ञापन बिलों के भुगतान हेतु धनराशि आंवटन हेतु किए गए अनुरोध के क्रम में **रू0 1,74,310/- (रू0 एक लाख चौहत्तर हजार तीन सौ दस मात्र)** की धनराशि निम्न् विवरण/शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

(1) **समाचार पत्रों के विज्ञापन बिलों का भुगतान करने पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विज्ञापन की दरें किसी भी दशा में उ0प्र0 सरकार के सूचना विभाग की दरों से अधिक न हो** तथा जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जाये।

(2) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2023 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2023 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(3) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में कार्यालयाध्यसक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(5) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वितीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(6) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 1,74,310/- (रू0 एक लाख चौहत्तर हजार तीन सौ दस मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000611 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक- 30 दिसंबर, 2021 एवं वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के शासनादेश संख्या: 5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक- 29 मार्च 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्या- **A001-2022-2023-001-R- One-10/2022/1017** तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य् एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन ।

3- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।

6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।

7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।

8- नोडल अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10 (बजट आवंटन), उ0प्र0 शासन।

9- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।

10- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।

11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।

12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

PM

(31)

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-15/06/2022

प्रेषण संख्या:- 1017

आवंटन आदेश संख्या:- 001-1017

अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	महोबा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	174310 186310	174310 186310
	योग	वर्तमान प्रगामी	174310 186310	174310 186310

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक लाख चौहत्तर हजार तीन सौ दस

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक लाख छियासी हजार तीन सौ दस

15/6/2022

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।